कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 467 /11–सी– FP/UP/Road/150633//2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 16 ,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–काशीपुर मार्ग (एन0एच0–734) के किमी0 389.00 (प्रस्तावित किमी 0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित किमी0 चैनेज सं0– 39.750) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 63.5796 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Road/150633//2021

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/162/2023/एफ0सी0/476, दिनांक–08.01.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक–2973/14–1 दिनांक 28.05.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 467 /11–सी FP/UP/Road/150633//2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
3– परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0 प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बरेली, उ0प्र0।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 467 /11–सी FP FP/UP/Road/150633//2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक – 2973/ 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 28 –05–2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–काशीपुर मार्ग (एन0एच0–734) के किमी चैनेज 389.00 (प्रस्तावित किमी0 चैनेज–0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित किमी0 चैनेज सं0–39.750) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 63.5796 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/ROAD/150633/2021**

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8B/UP/06/162/2023 /FC/476 दिनांक 08.01.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या–4586/14–1 दिनांक 24.05.2024 द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 2973/ उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्र दिनांक 24.05.2024 के क्रम में।
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद।

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।